



मौजा...कोतरवा..... के खाता स. 82..... में खातेदार ...
 दर्ज रिकार्ड है, आवेदक द्वारा अपने खाते में गलत इंद्राज होने से नाम शुद्ध कर
 दस्तावेज पेश है, दस्तावेजों के आधार पर सन्तु पिता थाकरा मीना
 सन्तु पिता थाकरा मीना..... शुद्ध किया जाना उचित है।


 10/12/24


रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

महोदयजी

पटवारी हल्का बाकेशपुर एव भू. अ. नि. वृत्त बाकेशपुर
 रिपोर्ट के आधार पर मौजा कोतरवा के खाता स. 82 में खातेदार
 पिता थाकरा के
 बजाय सन्तु पिता थाकरा मीना शुद्ध किए जाने की अभिरक्षा की
 जाति है।

तहसीलदार आसपुर की रिपोर्ट/अभिरक्षा
 के आधार पर स्वीकृत।

520
 ASPM

पर्चा मौका

पर्चा के स्वरु ग्राम कातरवा के जामाबंदी खत नं. 2074 - 77 खाता नं. 82 में खातेदार नाम शाही लाल पिता थाकरा मीका अशुद्ध होकर गलत दर्ज है. शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र किया है जिसकी बिन्दुवार मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है।

म कातरवा के खाता नं. 82 में श्री शाही लाल पिता थाकरा मीका निवासी कातरवा का नाम पर्चा स्वरु प्रार्थी में अशुद्ध होना बताया व सही रूप नाम सर्व होना बताया गया

यह नाम को लेकर अन्य कोई व्यक्ति नहीं होकर दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है।

जामाबंदी खाते में अन्य सह खातेदारों द्वारा भी खातेदार का नाम शुद्ध करने की सहमति दी गयी

जामाबंदी खाते के संग अभियान शिविर ग्राम राजेशपुर में व मौका स्थिति की विस्तृत तारीखी जाकर नाम शुद्ध करने की पुष्टि की गयी।

पर्चा मौका मौके पर पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर / अंगूठा कर देते हैं

राजेश



शारदा

2-10-17
प्रार्थी